रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 675] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 30, 2015/ कार्तिक 8, 1937
No. 675] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 30, 2015/ KARTIKA 8, 1937

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2015

सा.का.नि 827(अ).—भारतीय प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) की धारा 3 के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाती है,

नामत:-

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ – (1) इस स्कीम का नाम सॉवरेन स्वर्ण बांड स्कीम, 2015 होगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषा- इस स्कीम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो, -

(क) "प्रपत्र" का अर्थ है, इस स्कीम के साथ संलग्न प्रपत्र;

(ख) "प्राप्तकर्ता कार्यालय" का अर्थ है, इस स्कीम के अनुबंध I में यथानिर्दिष्ट राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित निजी बैंकों, अनुसूचित विदेशी बैंकों के कार्यालय अथवा शाखाएं तथा विनिर्दिष्ट डाकघर जो भी अधिसूचित किए जाएं;

(ग) "स्टॉक प्रमाणपत्र" का अर्थ है, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 3 के अनुसार भारत सरकार स्टॉक के रूप में निर्गमित स्वर्ण बांड।

3. निवेश हेतु पात्रता- (1) इस स्कीम के अंतर्गत, स्वर्ण बांडों का स्वामित्व भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा, एक व्यक्ति के तौर पर, ऐसे व्यक्ति के रूप में, अथवा अवयस्क शिशु की ओर से, अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से धारित किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण- इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ-

(i) शब्द "व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (प) में यथापरिभाषित है:

(ii) शब्द "भारत में निवासी व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (फ) में यथापरिभाषित है:

4. अभिदान का रूप और मूल्य निर्धारण- (1) अभिदान एक ग्राम स्वर्ण अथवा इसके गुणजों के निर्दिष्ट यूनिट के रूप में किया जा सकेगा:

परंतु बांड में अभिदान की न्यूनतम सीमा 2 ग्राम और अभिदान की अधिकतम सीमा 500 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वित्त वर्ष होगी;

परंतु यह भी कि संयुक्त स्वामित्व के मामले में, उपर्युक्त सीमाएं केवल प्रथम आवेदक पर ही लागू होंगी।

(2) स्वर्ण बांडों का निर्गम मूल्य इंडिया बुलियन एंड ज्यूलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित पिछले सप्ताह (सोमवार से शुक्रवार) के 999 शुद्धता के स्वर्ण के समापन मूल्य की साधारण औसत के आधार पर भारतीय रुपए में तय किया जाएगा।

5. स्वर्ण बांडों के अभिदान हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया :- (1) स्वर्ण बांडों के अभिदान हेतु आवेदन करने के इच्छुक प्रत्येक अभिदाता को प्रपत्र 'क' अथवा उसी के समान किसी अन्य प्रपत्र में किसी भी प्राप्तकर्ता कार्यालय को आवेदन करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से स्वर्ण के ग्राम में वजन और आवेदक का पूरा नाम और पता होना चाहिए।

(2) प्रत्येक आवेदन में ऐसे दस्तावेज और ब्यौरे होंगे जैसेकि आवेदन पत्र में दिए गए निर्देशों में निर्दिष्ट किए गए हैं।

(3) उप-पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर, प्राप्तकर्ता कार्यालय, प्रपत्र 'ख' में पावती जारी करेगा, बशर्ते आवेदन की सभी अपेक्षाएं पूरी की गई हों।

(4) यदि पैराग्राफ 6 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन की सभी अपेक्षाएं पूरी नहीं की जातीं तो अपूर्ण आवेदन को अस्वीकृत किया जा सकता है।

6. स्वर्ण बांडों के निर्गम की तिथि और स्वरूप –(1) स्वर्ण बांड प्रपत्र 'ग' में यथानिर्दिष्ट "स्टॉक प्रमाणपत्र" के रूप में 26 नवंबर, 2015 को निर्गमित किए जाएंगे।

(2) स्वर्ण बांड डी-मैट रूप में रूपांतरित किए जाने के लिए पात्र होंगे।

7. अभिदान की अवधि – इस स्कीम के अंतर्गत स्वर्ण बांड का अभिदान 5 नवंबर, 2015 को और उसी तारीख से खुलेगा तथा 20 नवंबर, 2015 को बंद होगा;

परंतु केंद्रीय सरकार पूर्व नोटिस देकर, उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि से पहले स्कीम को बंद कर सकती है।

8. ब्याज:- (1) स्वर्ण बांडों पर ब्याज इसके निर्गम की तारीख से प्रभारित होगा और इन पर आरंभिक निवेश की राशि पर 2.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की नियत ब्याज दर लगायी जाएगी।

(2) यह ब्याज अर्ध वार्षिक रूप में देय होगा और अंतिम ब्याज परिपक्वता होने पर मूल के साथ देय होगा।

9. प्राप्तकर्ता कार्यालय – अनुबंध I में विनिर्दिष्ट प्राप्तकर्ता कार्यालय, प्रत्यक्ष रूप से अथवा एजेंटों के जरिए बांडों के संबंध में आवेदन प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे।

10. भुगतान विकल्प – (1) स्वर्ण बांड के लिए सभी भुगतान नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा चैक अथवा इलेक्ट्रानिक बैंकिंग के माध्यम से भारतीय रुपए में स्वीकृत किए जाएंगे।

(2) जहां भुगतान चैक अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किए गए हों, उन्हें प्राप्तकर्ता कार्यालय के पक्ष में आहरित किया जाएगा।

11. मोचन- (1) स्वर्ण बांड, इनके निर्गम की तारीख 26 नवंबर, 2015 से आगे आठ वर्ष की समाप्ति पर प्रतिदेय होंगे;

परंतु स्वर्ण बांड का परिपक्वता पूर्व मोचन, ऐसी तिथि पर जब ब्याज देय हो, ऐसे स्वर्ण बांड के निर्गम की तारीख से, पांचवें वर्ष से अनुमत किया जा सकता है।

(2) परिपक्वता पर, स्वर्ण बांडों का मोचन भारतीय रुपए में किया जाएगा और मोचन मूल्य इंडिया बुलियन एंड ज्यूलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित पिछले सप्ताह (सोमवार से शुक्रवार) के 999 शुद्धता के स्वर्ण के समापन मूल्य की साधारण औसत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

(3) प्राप्तकर्ता कार्यालय निवेशक को, स्वर्ण बांड की परिपक्वता की तारीख के बारे में,परिपक्वता से एक माह पूर्व सूचित करेगा।

12. सांविधिक नकदी अनुपात हेतु पात्रता- इस स्कीम के अंतर्गत स्वर्ण बांड में किया गया निवेश सांविधिक नकदी अनुपात के लिए पात्र होगा।

13. बांडों के प्रति ऋण प्राप्ति – (1) इस स्कीम के अंतर्गत निर्गमित स्वर्ण बांडों को किसी भी ऋण प्राप्ति के संबंध में संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिदेशित किसी भी सामान्य स्वर्ण ऋण पर यथा प्रयोज्य ऋण – मूल्य अनुपात इस स्कीम के अंतर्गत निर्गमित स्वर्ण बांड पर ही लागू होगा।

(3) बांड पर ग्रहणाधिकार (लियन) अधिकृत बैंकों द्वारा निक्षेपागार में चिन्हित किया जाएगा।

14. कर उपाय – स्वर्ण बांड पर मिलने वाला ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसार कर योग्य होगा और पूंजी लाभ कर भी वास्तविक स्वर्ण के मामले में एक सा रहेगा।

15. नामांकन- नामांकन और इसका निरसन क्रमश: प्रपत्र 'घ' और प्रपत्र 'ङ' में किया जाएगा जो सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) और भारत के राजपत्र तारीख 1 दिसंबर, 2007 खंड 4, भाग III में प्रकाशित सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार किया जाना होगा।

16. स्वर्ण बांडों का हस्तांतरण- स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में स्वर्ण बांडों को प्रपत्र 'च' में निहित हस्तांतरण लिखत के निष्पादन से हस्तांतरित किया जा सकेगा, जो सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) और भारत के राजपत्र तारीख 1 दिसंबर, 2007 के खंड 4, भाग III में प्रकाशित सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार किया जाना होगा।

17. स्वर्ण बांडों में कारोबार- स्वर्ण बांड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित की जा सकने वाली तिथि से कारोबार किए जाने हेतु पात्र होंगे।

18. वितरण हेतु कमीशन- वितरण के संबंध में कमीशन की अदायगी, प्राप्तकर्ता कार्यालयों द्वारा प्राप्त किए गए आवेदनों पर, प्राप्त कुल अभिदान के प्रति सौ पर एक रुपए की दर से की जाएगी और प्राप्तकर्ता कार्यालय इस प्रकार प्राप्त कमीशन का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा एजेंटों या सब एजेंटों के साथ, उनके जरिए प्राप्त कारोबार के लिए साझा करेंगे।

19. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या 4(13) डब्ल्यू एंड एम/2008, तारीख 08 अक्तूबर, 2008 में विनिर्दिष्ट अन्य सभी निबंधन और शर्तें इस स्कीम के अंतर्गत निर्गमित स्वर्ण बांड पर लागू होंगी।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

[फा. सं. 4(19)-डब्ल्यू एंड एम/2014]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

प्रपत्र 'क '

[पैरा *5(1)*देखें]

सं.:
निर्गम जारी होने की तारीख:
निर्गम बंद होने की तारीख

सत्यमेव जयते

सॉवरेन स्वर्ण बांड 2015-16 के लिए आवेदन पत्र

(आवश्यकतानुसार ✓का निशान लगाएं)

एजेंट का नाम और कोड	सब एजेंट का नाम और कोड	बैंक/ डाकघर शाखा

बैंक/ डाकघर का नाम **शाखा का नाम:**

1) **आवेदक(कों) का विवरण [स्पष्ट अक्षरों में लिखें]**

	नाम	**जन्म तिथि**	**पासपोर्ट/आधार/पैन/टैन/वोटर आईडी कार्ड नं. (उपर्युक्त में से कोई एक)**
पहला आवेदक			
दूसरा आवेदक			
अभिभावक (अवयस्क होने की स्थिति)			

नामिती का विवरण- नामांकन फार्म 'घ' (जैसा लागू हो) भरा जाए और संलग्न किया जाए

आवेदक की स्थिति:आवासीय व्यक्ति [], अन्य [],कृपया स्पष्ट करें: _____

2) **आवेदक के संपर्क का विवरण:**

पता:	गली /गांव /शहर:	राज्य:	पिन कोड:
दूरभाष /मोबाइल नं.	ईमेल:		

3) **निवेश का विवरण**

आवेदित स्वर्ण का वजन ग्राम में		निर्गमन मूल्य प्रति ग्राम स्वर्ण	
निवेश की कुल रकम:रुपए. _____ (अंकों में) रुपए. _____मात्र (शब्दों में)			
अभिदान का तरीका: [] नकद [] चैक/डीडी [] इलेक्ट्रॉनिक अंतरण चैक/डीडी सं. तारीख/...../..... आहरित (बैंक/शाखा)..... के लिए (राशि) `..... (मात्र.....रुपए)			
यदि, निवेश नकद रुपए. 50,000 से अधिक है, पैन नं.			

4) **निक्षेपागार भागीदार के ब्यौरे**(डी-मैट रूप में बांड को धारित करने के विकल्प का चयन करने के लिए)

निक्षेपागार का नाम	एनएसडीएल []; सीडीएलएल []; एनएसडीएल के लिए 8 अंकीय डीपी आईडी लिखें, उसके बाद 8 अंकीय क्लाइंट आईडी लिखें, सीडीएसएल के लिए 16 अंकीय क्लांइट आईडी लिखें															
डीपी /क्लांइट आईडी																

5) **बैंक का विवरण** (ब्याज/मोचन भुगतान के लिए)

बैंक का नाम: _____ शाखा का नाम:_____
खाता सं..: _____ आईएफएससी कोड: _____
खाता का प्रकार: () बचत () चालू

6) **घोषणा:** मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं एवं शपथ लेता हूं/लेते हैं कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, सॉवरेन गोल्ड बांडों में मेरा/हमारा कुल निवेश 500 ग्राम से अधिक नहीं हुआ है और (ii) आवेदन प्रपत्र में दी गई सूचना सही है, (iii) मैंने निवेशकों के लिए दी गई सूचना के ब्यौरे तथा उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों को पढ़ और समझ लिया है (प्रतिलिपि संलग्न)। एजेंट/बैंक ने स्कीम के विशेषताओं को समझा दिया है।

हस्ताक्षर **हस्ताक्षर** **हस्ताक्षर**
(पहला आवेदक)* **(दूसरा आवेदक)** **अभिभावक**
तारीख: _____ **स्थान:** _____

*अंगूठे के निशान के मामले में, कृपया पृष्ठ उल्टे

बैंक/डाकघर के प्राधिकृत अधिकारी की तारीख सहित बैंक स्टांप और हस्ताक्षर

अंगूठे का निशान दो गवाहों द्वारा अनुप्रमाणित हो

अंगूठे का निशान

गवाह:

प्रथम गवाह का नाम
पता.....
.....
हस्ताक्षर.....

दूसरे गवाह का नाम.....
पता.....
.....
हस्ताक्षर

हिंदू अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ) घोषणा (अनिवार्य, अगर आवेदक एच.यू.एफ. का कर्ता है)

मुझे, ..., प्रथम आवेदक के समक्ष दिए गए पते का निवासी, सत्यनिष्ठापूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि मैं अविभाजित हिंदू परिवार में कर्ता हूँ और इस कारण मुझे एच.यू.एफ के नाम के चलते सॉवरन स्वर्ण बाण्ड, 2015 में बेचने, पृष्ठांकित करने, हस्तांतरित करने और किसी अन्य तरह से लेनदेन करने की पूरी शक्तियां हैं।

एच.यू.एफ. के लिए और उसकी ओर से नमूना हस्ताक्षर (एच.यू.एफ. का नाम).....

स्थान.....
दिनांक.....

(एच.यू.एफ. की मोहर सहित कर्ता के हस्ताक्षर)

केवल कार्यालय द्वारा प्रयोग के लिए

आवेदन प्राप्ति की तारीख	**बीएलए सं.**	**सीआईएफ सं.**	**सरकारी खाते में जमा करने की तारीख**	**नामांकन पंजीकरण की तारीख**	**एच.यू.एफ. घोषणा मिली (हां/नहीं)**	**प्राप्त घोषणा की कुल सीमा (हां/नहीं)**	**नेफ्ट/ईसीएस मैनडेट मिला (हां/नहीं)**	**कोई अन्य सूचना**

<u>सॉवरेन स्वर्ण बांड, 2015-16 में निवेशों हेतु निवेशकों के लिए सूचना</u>

सॉवरन स्वर्ण बांड स्कीम, 2015-16 की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:-

मद	**सॉवरन स्वर्ण बांड, 2015-16**
1. निवेशक की श्रेणी	ये बांड व्यष्टियों सहित आवासी भारतीय कंपनियों, एचयूएफ, न्यासों, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थाओं को विक्री के लिए सीमित होंगे।
2. निवेश की सीमा	प्रति निवेशक, प्रति वर्ष, न्यूनतम निवेश 2 ग्राम और अधिकतम 500 ग्राम
3. बांडों के निर्गम की तारिख	बांड प्राप्ति की तारीख वही होगी जो होल्डिंग प्रमाणपत्र पर अंकित है।
4. बांडों के प्रकार	डिमेट और भौतिक दोनों
5. ब्याज का विकल्प	अर्धवार्षिक अंतराल, आवेदन फॉरम अथवा डिमेट खाते से जुड़े खाते में उल्लिखित खाते में सिद्ध जमा कराया जाएगा।
6. पश्च- परिपक्वता ब्याज	पश्च- परिपक्वता ब्याज **देय नहीं है**।
7. बैंक खाता	निवेशकों के लिए यह अनिवार्य है कि ब्याज/परिपक्वता मूल्य का भूगतान सुसाध्य बनाने के लिए बैंक खाते का ब्यौरा दें।
8. नामांकन सुविधा	एकल भारत अथवा सभी संयुक्त धारक नामांकिती के रूप में एक अथवा अधिक व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं।
9. परिपक्वता अवधि	निर्गम की तारीख से 8 वर्ष ।
10. पूर्व- परिपक्वता उन्मोचन	निर्गमन के 5वें वर्ष से कूपन तारीखों पर।
11. व्यापार योग्यता	एक्सचेंजों/एनडीएस-ओएम पर इन बांडों का व्यापार करना शीघ्र अधिसूचित किया जाएगा।
12. इन बचत बांडों की जमानत पर बैंकों से ऋण	उक्त प्रतिभूतियों के धारक अनुसूचित बैंक, एफआई, एनबीएफसी में गिरवी रखने, रेहन अथवा ग्रहणाधिकार करने के हकदार होंगे।
13. आवेदन प्रपत्र	सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं और डाक घर

निवेशक/आवेदकों के लिए अनुदेश

(क) आवेदन सभी दृष्टियों से पूर्ण होना चाहिए।

(ख) अधूरे आवेदनों को पूरे विवरण उपलब्ध होने तक नामंजूर किया जा सकता है या उनकी तिथि बढ़ायी जा सकती है।

(ग) यदि मुख्तारनामा धारक आवेदन पत्र जमा करता है तो मुख्तारनामे की अनुप्रमाणित प्रति के साथ उसकी मूल प्रति प्रस्तुत करें ताकि उसका सत्यापन किया जा सके।

(घ) यदि आवेदन नाबालिक की ओर से किया जाता है तो कृपया विद्यालय या नगर निगम प्राधिकरणों द्वारा जारी मूल जन्म प्रमाणपत्र और उसकी अनुप्रमाणित प्रति जमा करें ताकि उसका सत्यापन किया जा सके।

(ङ) कृपया ध्यान दें कि नामांकन सुविधा सावरेन स्वर्ण योजना (एसजीबी) के एक मात्र धारक या सभी संयुक्त धारकों (निवेशकों) के लिए उपलब्ध है।

(च) यदि नामिती नाबालिग है तो उसकी जन्मतिथि का उल्लेख करें और उसका अभिभावक नियुक्त किया जा सकता है।

(छ) यदि निवेश नाबालिक की ओर से किया जाए तो नामांकन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

(ज) इलेक्ट्रानिक रीति से भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक खाता का विवरण दें।

(झ) कृपया बैंक खाते का बदलाव करने पर, यदि ऐसा है, उसे अविलंब अधिसूचित करें।

(ञ) परिपक्वता पश्च ब्याज देय नहीं है।

(ट) अपनी जन्मतिथि का उल्लेख करें।

निवेशक के अधिकार

(क) बांड (धारक प्रमाणत्र) निवेशक को जारी किया जाएगा।

(ख) बांड पर ब्याज की अदायगी अर्ध-वार्षिक आधार पर की जाती है। ब्याज का शोधन आवेदन पत्र में दिए गए बैंक खाते या डीमेट से जुड़े खाते, जैसा भी मामला हो, के जरिए किया जाएगा।

(ग) निवेशों, सावरेन स्वर्ण बांडों हेतु आवेदन पत्र वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध हैं।

(घ) एकल धारक या सभी संयुक्त धारक, बांडों के अधिकारों के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं।

(ङ) नामांकन को निर्गम कार्यालय में पंजीकृत किया जाएगा तथा धारक को पंजीकृत प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(च) नए सिरे से नामांकन को पंजीकृत कराकर इसे बदला जा सकता है।

(छ) मौजूदा नामांकन को निवेश कार्यालय को अनुरोध करके निरस्त कराया जा सकता है।

(ज) निवेशक प्रत्येक निर्मोचन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से पांच स्पष्ट कार्य दिवसों के भीतर धनराशि की अदायगी प्राप्त करने के लिए पात्र है।

यदि बैंक उपर्युक्त का अनुपालन नहीं करता है तो आप भारतीय रिजर्व बैंक के निकटतम कार्यालय में निम्नलिखित को शिकायत कर सकते हैः

क्षेत्रीय निदेशक,

भारतीय रिजर्व बैंक,

ग्राहक सेवा विभाग/

बैंकिंग लोकपाल

(पता)

आप अपनी शिकायत निम्नलिखित को भी भेज सकते है:

मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी

आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग

केंद्रीय कार्यालय

फोर्ट, मुम्बई - 400 008, महाराष्ट्र

घोषणा: मैंने निवेशकों के लिए सूचना के ब्यौरे और निवेशकों के अधिकार और कर्तव्य पढ़ और समझ लिए हैं। एजेंट/बैंक ने स्कीम की विशेषताओं की जानकारी दे दी है।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रपत्र 'ख'

[पैराग्राफ 5 (3) देखें]

प्राप्ति की रसीद

आवेदन सं.....

दिनांक...../...../.....

श्री/श्रीमती/सुश्री.....से रुपये (मात्र.....रुपये) के अंकित मूल्य के आधार पर देय ब्याज पर, 8 वर्ष की अवधि हेतु सॉवरेन स्वर्ण बाण्ड के क्रय के लिए रु. **----------** (मात्र.....रुपये) की कुल राशि के ग्राम हेतु **----------** (बैंक और शाखा) के नाम आहरित नकद/डिमांड ड्राफ्ट/चेक संख्या/ इलेक्ट्रानिक अंतरण.....दिनांक प्राप्त हुए।

(प्राप्तकर्ता कार्यालय की मुहर/सील)

Form 'C'

[See paragraph 6 (1)]

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रिक स्वर्ण बंधपत्र (सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड)– 2015-16

SOVEREIGN GOLD BONDS-2015-16

Certificate Number-

मैं एतद द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री/ श्रीमती _____, _____यूनिट राष्ट्रिक स्वर्ण बंधपत्र (सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड), 2015-16 के कुल प्रारंभिक निवेश □. _____ के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी हैं। राष्ट्रिक स्वर्ण बंधपत्र (सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड), 2015-16 के प्रारंभिक निवेश पर प्रति वर्ष ___प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा, जिसका संदाय प्रति छह माह पर ----- तारीख और ----- तारीख को प्रतिवर्ष किया जाएगा। बंधपत्र ------ को उन्मोचनीय होगा और बंधपत्र के समय पूर्व उन्मोचन का विकल्प पांचवें वर्ष से ब्याज भुगतान की तारीखों को उपलब्ध होगा।

I hereby certify that, Smt. /Shri_____

is the registered holder of ---------- units of Sovereign Gold Bonds 2015-16. The Sovereign Gold Bond will bear interest at ---------percent per annum on initial investment of □._____, payable at half yearly intervals on ----------and ----------every year. The Bonds are redeemable on ---------- with the option for early redemption from fifth year on interest payment dates.

आवेदन प्राप्तकर्ता कार्यालय का नाम

Application Receiving Office name-

यह प्रमाणपत्र प्रणाली आधारित है अतः हस्ताक्षर आवश्यक नहीं।

This is a system generated certificate and does not require any signature.

प्रपत्र 'घ'

[पैरा 15 देखें]

नामांकन

मैं/हम ----------(नाम और पता), ऋण --------- के लिए स्टॉक प्रमाणपत्र/बीएलए संख्या ---------- के धारक एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को नामित करते हैं जिनके पास मेरी/हमारी मृत्यु होने पर सरकारी प्रतिभूति/बांड का अधिकार होगा और जो सरकारी प्रतिभूतियों/ बांडों पर देय राशि का तत्समय भुगतान प्राप्त करेंगे:

नामिती का विवरण:

जारी करने के तारीख	**राशि रुपए में**	**भुगतान की तारीख**	**नामिती का पूरा और पता**	**यदि अवयस्क है तो जन्म तिथि**	**धारक/कों के साथ रिश्ता**	**बैंक खाते का विवरण**

नामिती अवयस्क होने पर भरा जाएगा: जैसाकि ----------उपर्युक्त मुख्य नामिती इस तारीख को अवयस्क है, मैं/हम ---------- उपर्युक्त नामिती की अवयस्कता के दौरान मेरी/हमारी मृत्यु होने की स्थिति में श्री/श्रीमती/कुमारी----------को सरकारी प्रतिभूति/बांडों पर देय राशि तत्समय प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता हूं/करते हैं।

यदि नामांकन पहले किए हुए नामांकन का प्रतिस्थापन है तो: यह नामांकन मेरे/हमारे द्वारा किए गए नामांकन तारीख ---------- का प्रतिस्थापन है और आपकी पुस्तक ---------- में पंजीकृत है, जो इस नामांकन के पंजीकरण पर रद्द माना जाएगा।

स्थान:----------

(स्टॉक प्रमाणपत्र/ बीएलए धारक के हस्ताक्षर)

तारीख ----------

गवाहों के नाम, पता और हस्ताक्षर

1----------

2----------

पावती

हम ---------- (नामिती का नाम) के पक्ष में स्टॉक प्रमाणपत्र/बीएलए संख्या ----------, ऋण -----हेतु और ---------- पंजीकृत नामांकन करने की अभिस्वीकृति देता हूं और नामांकन पंजीकरण ----------है।

कृपया नामांकन में बदलाव या निरसन के संप्रेषण में उपर्युक्त नामांकन का उल्लेख करें।

दिनांक ----------

प्राधिकृत अधिकारी ----------

प्रपत्र 'ङ'

(पैराग्राफ 15 देखें)

नामांकन का निरसन

मैं/हम (नाम और पता) एतद्वारा तारीख का मेरे/हमारे द्वारा निम्नलिखित स्टॉक प्रमाणपत्र/बांड लेजर खाता संख्या और अभिकरण बैंक के लोक ऋण कार्यालय/शाखा द्वारा (तारीख) की पंजीकरण संख्या द्वारा पंजीकृत किए गए नामांकन को रद्द करता हूँ/करते हैं।

स्टॉक प्रमाणपत्र/बांडों के विवरण

निर्गम की तारीख	उधार का शीर्षक	स्टॉक प्रमाणपत्र/ बीएलए संख्या	धनराशि (रुपए)

स्थानः

तारीखः

[स्टॉक प्रमाणपत्र धारक(कों)/

बीएलए धारक (कों) के हस्ताक्षर]

गवाहों के नाम सहित हस्ताक्षर और उनका पताः

1.

2.

अभिस्वीकृति

हम, ... उधार के लिए स्टॉक प्रमाणपत्र/बीएलएल संख्या के लिए हमारी नामांकन पंजीकरण संख्या तारीख द्वारा दर्ज किए गए ---------- (नामितियों के नाम) के पक्ष में नामांकन को रद्द करने की अभिस्वीकृति करते हैं।

तारीखः

अधिकृत अधिकारी

प्रपत्र 'च'

(पैराग्राफ 16 देखें)

स्टॉक प्रमाणपत्रों का हस्तांतरण

मैं/हम* (अंतरक) एतद्वारा अंतर्लिखित स्टॉक प्रमाणपत्र संख्या की में, ... के सरकारी ऋण में प्रतिशत, जो रुपए बैठता है, ... रुपए की धनराशि होने पर/..... रुपए के लिए शेयर का भाग इस लिखत के मुख पृष्ठ पर यथाविनिर्दिष्ट उस पर अर्जित ब्याज के साथ अपना/हमारा* हिस्सा या शेयर (अंतरिती/यों), उसके/उनके* निष्पादनकर्ताओं, प्रशासकों या समनुदेशकों को सुपुर्द और अंतरित करता हूँ/करते हैं, और मैं/हम*..... स्टॉक प्रमाणपत्र संख्या ------ को मुझे/हमें* हस्तांतरित किए गए आशय तक मुक्त रूप से स्वीकार करता हूँ/करते हैं।

मैं/हम* अंतरिती एतद्वारा यह अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें हस्तांरित किए स्टॉक के मेरे/हमारे पंजीकृत शेयर धारक होने के कारण*, मुझे/हमें हस्तांतरित किए गए आशय तक उपर्युक्त स्टॉक प्रमाणपत्र मेरे/हमारे* नाम(मों) पर नवीकरण कर दिया जाए/ मेरे/हमारे* नाम(मों) पर परिवर्तित कर दिया जाए।

@ मैं/हम* (अंतरक) एतद्वारा यह अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त अंतरिती(यों) के संबंध में उसे/उन्हें* एतद्वारा हस्तांतरित किए गए स्टॉक के पंजीकृत शेयर धारक होने के कारण, उसे/उन्हें* हस्तांतरित नहीं किए गए आशय तक उपर्युक्त स्टॉक प्रमाणपत्र मेरे/हमारे* नाम(मों) पर नवीकृत कर दिया जाए।

गवाह के रूप में, आज (दिन) (माह) दो हजार को हस्ताक्षर किए/अंगूठा लगाया।

..... ** की उपस्थिति में उपर्युक्त नामतः अंतरक द्वारा हस्ताक्षर किए गए।	अंतरक के हस्ताक्षर पता.....
..... ** की उपस्थिति में उपर्युक्त नामतः अंतरिती द्वारा हस्ताक्षर किए गए।	अंतरिती के हस्ताक्षर

*: जो लागू नहीं हो, उसे काट दें।

@: इस पैराग्राफ का प्रयोग केवल तभी किया जाना है जब इस प्रमाणपत्र का आंशिक रूप से हस्तांतरण हो।

**: गवाह के हस्ताक्षर, व्यवसाय और पता। गवाह अंतरक और अंतरिती से अलग होना चाहिए।

अंतरितः

स्टॉक प्रमाणपत्र जारी किया गया संख्या तारीख

प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक

अनुबंध I

राष्ट्रीयकृत बैंक		अनुसूचित निजी बैंक	
1.	भारतीय स्टेट बैंक	1.	एक्सिस बैंक लिमिटेड
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	2.	कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	3.	सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड
4.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	4.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड
5.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	5.	धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड
6.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	6.	फेडरल बैंक लिमिटेड
7.	इलाहाबाद बैंक	7.	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
8.	आंध्रा बैंक	8.	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
9.	बैंक ऑफ़ बडौदा	9.	इंडसइंड बैंक लिमिटेड
10.	बैंक ऑफ इंडिया	10.	जम्मू-कश्मीर बैंक लिमिटेड
11.	बँक ऑफ महाराष्ट्र	11.	कर्नाटक बैंक लिमिटेड
12.	केनरा बैंक	12.	करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
13.	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया	13.	कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
14.	कॉर्पोरेशन बैंक	14.	लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड
15.	देना बैंक	15.	नैनीताल बैंक लिमिटेड
16.	इंडियन बैंक	16.	रत्नाकर बैंक लिमिटेड
17.	इंडियन ओवरसीज बैंक	17.	साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड
18.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	18.	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड
19.	पंजाब नेशनल बैंक	19.	यस बैंक लिमिटेड
20.	पंजाब एंड सिंध बैंक	20.	बंधन बैंक
21.	सिंडिकेट बैंक		
22.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया		
23.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया		
24.	यूको बैंक		
25.	विजया बैंक		
26.	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड		
27.	भारतीय महिला बैंक		

अनुसूचित विदेशी बैंक			
1	दा रॉयल बैंक स्कॉटलैंड एनवी	23	मिजुहो कारपोरेट बैंक लिमिटेड
2	अबू धाबी कमर्शियल बैंक लिमिटेड	24	ओमान इंटरनेशनल बैंक
3	एंटवर्प डायमंड बैंक एनवी	25	सोसाइटी जेनरल
4	अरब बांग्लादेश बैंक लिमिटेड (एबी बैंक)	26	सोनाली बैंक
5	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	27	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
6	बैंक ऑफ अमेरिका	28	स्टेट बैंक आफ मॉरीशस
7	बैंक आफ बहरीन और कुवैत बीएससी	29	जेएससी - वीटीबी बैंक
8	बैंक आफ सीलोन	30	यूबीए स एजी
9	बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया	31	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन
10	बैंक ऑफ टोक्यो-मित्सुबिशी लिमिटेड	32	फस्ट रैंड बैंक लिमिटेड
1 1	बार्कलेस बैंक	33	कॉमनवेल्थ बैंक आफ ऑस्ट्रेलिया
12	बीएनपी पारिबास	34	यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लिमिटेड
13	चीन ट्रस्ट बैंक	35	क्रेडिट सुइस एजी
14	शिनहन बैंक	36	सबेर बैंक
15	सिटीबैंक एनए	37	ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप लिमिटेड
16	क्रेडिट एग्रीकोल कॉरपोरेट एंड इंवेस्टमेंट बैंक	38	राबोबैंक इंटरनेशनल
17	ड्यूश बैंक	39	नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक
18	डीबीएस बैंक लिमिटेड	40	वूरी बैंक
19	हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	41	इंडस्टीयल एंड कामर्सियल बैंक आफ चाइना
20	जेपी मॉर्गन चेस बैंक एनए	42	सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन
21	क्रुंग थाई बैंक	43	वेस्टपैक बैंकिंग कॉरपोरेशन
22	मशरेक बैंक	44	दोहा बैंक

मनोनीत डाकघरों की सूची अलग से अधिसूचित की जाएगी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2015

G.S.R.827 (E). — In exercise of the powers conferred by clause (iii) of section 3 of the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely: -

1. Short title and commencement.— (1) This scheme may be called the Sovereign Gold Bonds Scheme, 2015.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definition.— In this Scheme, unless the context otherwise requires, —

(a) "Form" means a form appended to this Scheme;

(b) "receiving office" means the offices or branches of Nationalised Banks, Scheduled Private Banks, Scheduled Foreign Banks as specified in Annexure I to this Scheme and designated Post Offices as may be notified;

(c) "Stock Certificate" means the Gold Bond issued in the form of Government of India Stock in accordance with section 3 of the Government Securities Act, 2006.

3. Eligibility for Investment.— (1) The Gold Bonds under this Scheme may be held by a person resident in India, being an individual, in his capacity as such individual, or on behalf of minor child, or jointly with any other individual.

Explanation.— For the purposes of this paragraph, —

(i) the expression "person" shall have the same meaning as defined in clause (u) of section 2 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);

(ii) the expression "person resident in India" shall have the same meaning as defined in clause (v) of section 2 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999).

4. Form of subscription and pricing.— (1) Subscription shall be in the form of denominated units of one gram of Gold or multiples thereof:

Provided that the minimum limit of subscription in the Bond shall be of two grams and maximum limit of subscription shall be of five hundred grams per person per fiscal year:

Provided further that in case of joint holding, the above limits shall be applicable to the first applicant only.

(2) The issue price of Gold Bonds shall be made in Indian Rupees on the basis of simple average of closing price of gold of 999 purity of previous week (Monday to Friday) published by the India Bullion and Jewellers Association Limited.

5. Procedure for making application for subscription to Gold Bonds.– (1) Every Subscriber who is desirous of making subscription to the Gold Bonds shall apply to any receiving office in Form 'A' or in any other form as near as thereto, stating clearly the grams of gold and full name and address of the applicant.

(2) Every application shall contain such documents and particular as specified in the instructions contained in the Application Form.

(3) On receipt of an application under sub paragraph 1, the receiving office shall issue an acknowledgment receipt in Form 'B', if all requirements of the application are fulfilled.

(4) An incomplete application is liable to be rejected if all requirements of the application are not fulfilled within period specified in paragraph 6.

6. Date and form of issue of Gold Bonds.— (1) The Gold Bonds shall be issued on the 26th day of November, 2015 in the form of a Stock Certificate as specified in Form 'C'.

(2) The Gold Bonds shall be eligible to be converted into De-mat form.

7. Period of subscription.— the Subscription of the Gold Bond under this Scheme shall open on and from the 5th day of November, 2015 and shall close on the 20th day of November, 2015;

Provided that the Central Government may, with prior notice, close the Scheme before the period specified above.

8. Interest.— (1) The interest on the Gold Bonds shall commence from the date of its issue and shall

have a fixed rate of interest at 2.75 percent per annum on the amount of initial investment.

(2) The interest shall be payable in half-yearly rests and the last interest shall be payable along with the principal on maturity.

9. Receiving Offices.— The receiving office specified in Annexure I shall be authorised to receive applications for the Bonds either directly or through agents.

10. Payment Options.— (1) All payments for Gold Bond shall be accepted in Indian Rupees through cash or demand draft or cheque or electronic banking.

(2) Where payment is made through cheque or demand draft, the same shall be drawn in favour of the receiving office.

11. Redemption.— (1) The Gold Bond shall be repayable on the expiration of eight years from the 26th November, 2015, the date of the issue of Gold Bonds:

Provided that premature redemption of Gold Bond may be permitted from fifth year from the date of issue of such Gold Bond on the date on which interest is payable.

(2) On maturity, the Gold Bonds shall be redeemed in Indian Rupees and the redemption price shall be based on simple average of closing price of gold of 999 purity of previous week (Monday to Friday) published by the India Bullion and Jewellers Association Limited.

(3) The receiving office shall inform the investor of the date of maturity of the Gold Bond one month before its maturity.

12. Eligibility for Statutory Liquidity Ratio.— The investment in the Gold Bonds under this Scheme shall be eligible for Statutory Liquidity Ratio.

13. Loan against Bonds.— (1) The Gold Bonds under this Scheme may be used as collateral security for any loan.

(2) The Loan to Value ratio as applicable to any ordinary gold loan mandated by the Reserve Bank of India shall also apply to the Gold Bond under this Scheme.

(3) The lien on the bond shall be marked in the depository by the authorised banks.

14. Tax Treatment.— The interest on the Gold Bond shall be taxable as per the provisions of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and the capital gains tax shall also remain the same as in the case of physical gold.

15. Nomination.— Nomination and its cancellation shall be made in Form 'D' and Form 'E', respectively, in accordance with the provisions of the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006) and the Government Securities Regulations, 2007, published in part III, Section 4 of the Gazette of India dated the 1st December, 2007.

16. Transfer of Gold Bonds.—The Gold Bonds in the form of Stock Certificate is transferable by execution of an Instrument of transfer as in Form 'F', in accordance with the provisions of the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006) and the Government Securities Regulations, 2007, published in part III, Section 4 of the Gazette of India dated the 1st December, 2007.

17. Trading in Gold Bonds.—The Gold Bonds shall be eligible for trading from such date as may be notified by the Reserve Bank of India.

18. Commission for distribution.—Commission for distribution shall be paid at the rate of rupee one per hundred of the total subscription received by the receiving offices on the applications received and receiving offices shall share at least 50% of the commission so received with the agents or sub agents for the business procured through them.

19. All other terms and conditions specified in the notification of Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) vide number F. No.4(13) W&M/2008, dated the 8th October, 2008 shall apply to the Gold Bond issued under this scheme.

By Order of the President of India

[F. No. 4(19)-W&M/2014]

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.

Form 'A'

[See paragraph 5(1)]

No: Issue opens on: Issue closes on:

APPLICATION FORM FOR SOVEREIGN GOLD BOND 2015-16

(Put ✓ wherever required)

Agent's Name & Code	Sub Agent's Name & Code, if any	Bank / Post Office Branch

Name of Bank/ Post Office **Name of Branch:**

1) **Applicant(s) Detail [in block letters]**

	Name	**Date of Birth**	**Passport/Aadhar / PAN / TAN / Voter ID No. (any one of the above)**
1st Applicant			
2nd Applicant			
Guardian (in case of minor)			

Nominee details- Nomination Form 'D' (as applicable) to be filled and attached

Applicant status: Resident Individual [], others [], Please specify: _____

2) **Contact details of the Applicant:**

Address:	Street / Village /City:	State:	Pin Code:
Telephone / Mobile No.	Email:		

3) **Investment details**

Grams of gold applied for		Issuance Price Per gram Gold.	
Total Amount of Investment: Rs. _____ (in figures) Rs. _____only (in words)			
Mode of subscription: [] Cash [] Cheque/DD [] Electronic Transfer Cheque/DD No…… dated ……/……/…… drawn on (Bank/branch)…… for (Amount) `……..… (Rupees……only)			
In case, investment exceeds Rs. 50,000 in cash, PAN number			

4) **Depository participant details** (to avail of option to hold the bond in demat form)

Depository Name	NSDL []; CDSL []; For NSDL, enter 8 digit dp ID followed by 8 digit client ID, For CDSL enter 16 digit client ID
DP / Client ID	

5) **Bank Details** (for Interest/Redemption payment)

Bank Name: _____ Branch Name:_____ Account No.: _____ IFSC Code: _____ Type of Account: () Saving () Current

6) **Declaration:** I/We hereby declare and undertake that (i) my/our aggregate investment in Sovereign Gold bonds does not exceed 500 Grams during the financial year 2015-16 and (ii) the Information furnish in this application form is correct, (iii) I have read and understood the details of information for the investors as well as rights and duties of investors (copy attached). The agent/bank has explained the features of the scheme.

Signature **Signature** **Signature**
(1st Applicant)* **(2nd Applicant)** **Guardian**
DATE: _____ **Place: _____**

* in case of Thumb impression, pl. turn overleaf

Date, Bank Stamp & Signature of the authorized official of the bank/Post Office

In case of thumb impression, attestation by two witnesses

Thumb Impression

Witnesses:

Name of 1st Witness…… Name of 2nd Witness……
Address…… Address……
…… ……

Signature……. Signature……..……..……

H.U.F. declaration (mandatory, if applicant is Karta of HUF)

I, ……, residing at the address given against First Applicant, do solemnly affirm that I am the Karta of the Hindu Undivided Family and as such have full powers to sell, endorse, transfer or otherwise deal in the Sovereign Gold bonds 2015, standing in the name of the HUF.

Specimen signature for and on behalf of the HUF (name of the HUF) ……

Place: ……

Date: …… (Signature of the Karta with seal of HUF)

For Office use only

Date of receipt of Application (DD/MM/YYYY	**BLA No.**	**CIF No.**	**Date of Credit to Govt. A/C** (DD/MM/YYYY)	**Nomination registered on** (DD/MM/YYYY)	**HUF declaration obtained (Y/N)**	**Total limit declaration obtained (Y/N)**	**NEFT/ECS mandate obtained (Y/N)**	**Any other information**

Part of Form 'A'

INFORMATION FOR INVESTORS IN

Sovereign Gold Bonds 2015-16

The main features of the Sovereign Gold Bonds Scheme 2015-16 are as under:-

Item	Sovereign Gold Bonds 2015-16
1) Category of Investor	The Bonds will be restricted for sale to resident Indian entities including individuals, HUFs, trusts, Universities, and to the charitable institutions.
2) Limit of investment	Minimum 2 Grams and Maximum investment 500 Grams per investor per annum
3) Date of Issue of bonds	Date of receipt of bond will be the same which is inscribed on the holding certificate.
4) Forms of Bonds	Demat and Physical both
5) Interest Option	Half yearly Interval, will be served directly in to the account mentioned in the application form or in the Account linked with the Demat a/c.
6) Post Maturity Interest	Post Maturity Interest is **not payable**
7) Bank account	It is mandatory for the investors to provide bank account details to facilitate payment of interest /maturity value
8) Nomination Facility	The sole Holder or all the joint holders may nominate one or more persons as nominee
9) Maturity period	8 years from date of issue
10) Premature redemption	On the coupon dates from the 5th year of issuance.
11) Tradability	Trading of these bonds on exchanges/NDS-OM will be notified shortly.
12) Loans from banks against the security of these Savings bonds	The holders of the said securities shall be entitled to create pledge, hypothecation or lien in favour of scheduled bank, FIs, NBFCs.
13) Application forms	Branches of all the scheduled commercial banks, and Post offices

INSTRUCTIONS FOR INVESTOR/ APPLICANTS

a) Application should be complete in all respects.

b) Incomplete applications may be rejected or delayedtill full particulars are available.

c) In case the application is submitted by a Power of Attorney (POA) holder, please submit original POA for verification, along with an attested copy.

d) In case the application is on behalf of a minor, please submit the original birth certificate from the School or Municipal Authorities for verification, together with an attested copy.

e) Please note that nomination facility is available to a Sole Holder or all the joint holders (investors) of an SGB.

f) In case nominee is a minor, please indicate the date of birth of the minor and a guardian can be appointed.

g) Nomination facility **is not available** in case the investment is **on behalf of minor.**

h) Please provide bank account details for receiving payment through Electronic mode

i) Please notify the change of bank account, if any, immediately.

j) POST MATURITY INTEREST IS NOT PAYABLE.

k) Indicate your date of birth.

RIGHTS OF THE INVESTOR

a) The Bond (Holding Certificate) will be issued to the investor.
b) The interest on the bond is paid half-yearly. The servicing of the Interest will be done through the bank A/c provided in the Application for or in through the A/c linked to the demat, as the case may be.
c) Application forms for investments, Sovereign Gold Bonds are available on the website at www.rbi.org.in.
d) A sole holder or all the joint holders may nominate one or more nominees to the rights of the bonds.
e) The nomination will be registered at the Office of Issue and a Certificate of Registration will be issued to the holder.
f) The nomination can be altered by registering a fresh nomination.
g) The existing nomination can be cancelled by a request to the Office of Issue.
h) The investor is entitled to receive repayment amount within five clear working days from the date of tender of application for early redemption**.**

In case the bank does not comply with the above, you may lodge a complaint in writing in to the nearest office of Reserve Bank of India as under:

THE REGIONAL DIRECTOR,

RESERVE BANK OF INDIA,

CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT/

BANKING OMBUDSMAN

(LOCATION)

YOU MAY ALSO ADDRESS YOUR COMPLAINT TO:

THE CHIEF GENERAL MANAGER IN-CHARGE

INTERNAL DEBT MANAGEMENT DEPARTMENT

CENTRAL OFFICE

FORT, MUMBAI-400 008, MAHARASHTRA

Disclaimer:- I have read and understood the details of information for the investors as well as rights and duties of investors. The agent/bank has explained the features of the scheme to me.

Signature of the applicant

Form 'B'

[See Paragraph 5(3)]

Acknowledgement Receipt

Application No…….

Date ……/……/……

Received from Mr/ Mrs / Ms……Cash/ Demand Draft/Cheque No./Electronic Transfer/…… dated ……/……/…… drawn on (Bank and branch) …… …… for ___ grams totaling an amount of `..…… (Rupees…… ……..…… only) for the purchase of Sovereign Gold Bond for a period of 8 years, interest payable on basis of the nominal value of `…… (Rupees…… ……only).

(Stamp / Seal of the Receiving Office)

Form 'C'

[See paragraph 6 (1)]

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रिक स्वर्ण बंधपत्र 2015 -(सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड)-16

SOVEREIGN GOLD BONDS-2015-16

Certificate Number-

मैं एतद द्वारा प्रमाणित करता करती हूँ कि/श्री श्रीमती /_____, _____यूनिट राष्ट्रिक स्वर्ण बंधपत्र (सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड), 2015-16 के कुल प्रारंभिक निवेश ₹._____ के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी हैं। राष्ट्रिक स्वर्ण बंधपत्र (सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड), 2015-16 के प्रारंभिक निवेश पर प्रति वर्ष ___प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा, जिसका संदाय प्रति छह माह पर तारीख ------- और तारीख -------को प्रतिवर्ष किया जाएगा। बंधपत्र ज पांचवें वर्ष से ब्याचन का विकल्पको उन्मोचनीय होगा और बंधपत्र के समय पूर्व उन्मो -------- होगा।भुगतान की तारीखों को उपलब्ध

I hereby certify that, Smt. /Shri_____

is the registered holder of ---------- units of Sovereign Gold Bonds 2015-16. The Sovereign Gold Bond will bear interest at ---------percent per annum on initial investment of ₹._____, payable at half yearly intervals on ----------and ---------- every year. The Bonds are redeemable on ---------- with the option for early redemption from fifth year on interest payment dates.

आवेदन प्राप्तकर्ता कार्यालय का नाम

Application Receiving Office name-

यह प्रमाणपत्र प्रणाली आधारित है अतः हस्ताक्षर आवश्यक नहीं।

This is a system generated certificate and does not require any signature.

Form 'D'

[See paragraph 15]

NOMINATION

I/We …… (Name and address), the holder/s of Stock certificate/BLA No …… for the loan …….. hereby nominate the following person/s who shall on my/our death have the right to the Government securities/Bonds and receive payment of the amount for the time being due on the Government securities / Bonds specified below:

PARTICULARS OF NOMINEE:

Date of issue	Amount Rs.	Date of repayment	Full name with expanded initials and address of nominee	Date of birth in case of minor	Relation-ship to holder/s	Particulars of bank account

To be filled in case if nominee is minor: As ……. the sole nominee above is a minor on this date, I/We appoint Shri/Smt./Kum …… to receive the amount for the time being due to the above Government securities/Bond in the event of my/our death during the minority of the said nominee

If the nomination is in substitution of the one already made: This nomination is in substitution of the nomination dated …… made by me/us and registered on your books at …….. which shall stand cancelled on registration of this nomination.

Place : (Signature (s) of the Stock Certificate holder(s)/BLA holder (s)

Date :

Signature with name and address of witnesses:

1……

2……

Acknowledgment

We acknowledge having registered the nomination in favour of …… (Name of nominees) for the Stock Certificate/BLA No. …… for the loan …… and the nomination registration no. is …… Please quote the above nomination registration no. in all communication pertaining to change or cancellation of nomination.

Date : ……. Authorised Official……..

Form 'E'

[See paragraph 15]

CANCELLATION OF NOMINATION

I/We …… (name and address) do hereby cancel the nomination dated …… made by me/us in respect of the following Stock certificate/Bond Ledger Account No., and registered by the Public Debt Office/branch of the Agency bank on ……(date) vide registration no. ……...

Particulars of the Stock Certificate/Bonds

Date of Issue	Nomenclature of the loan	Stock Certificate / BLA No.	Amount (Rs.)

Place : (Signature (s) of the Stock Certificate holder(s)/BLA holder (s)

Date :

Signature with name and address of witnesses:

1……

2……

Acknowledgement

We acknowledge having cancelled the nomination in favour of …… (Name of nominees) for the Stock Certificate/BLA No. …… for the loan …… noted vide our nomination registration no. …….. dated ……

Date : ……. Authorised Official……..

Form 'F'

[See paragraph 16]

TRANSFER OF STOCK CERTIFICATES

I/We* …….. (transferor/s) do hereby assign and transfer my/our* interest or share in the inscribed stock certificate number ……..of …… percent Government Loan of ……. amounting to Rs. ……. being the amount /a portion of the stock for Rs. ……. as specified on the face of this instrument together with the accrued interest thereon to…….…… (transferee/s), his / her / their* executors, administrators or assigns, and I/We* ……..…… do freely accept the stock certificate number ……. to the extent it has been transferred to me/us*.

I/We* ……. (transferee/s) hereby request that on my/our* being registered as the holder/s of the stock transferred to me/us*, the above stock certificate to the extent it has been transferred to me/us* may be renewed in my/our* name (s)/converted in my/our* name(s).
@I/We*……. (transferor/s) hereby request that on the above transferee(s) being registered as the holder/s of the stock hereby transferred to him/them*, the aforesaid stock certificate to the extent it has not been transferred to him/them* may be renewed in my/our* name (s).

As witness, our hand the …… day of …… two thousand and ……

Signed by the above-named transferor in the presence of** ……. ……..	Signature of transferor…….. Address: ……... ……..
Signed by the above-named transferee in the presence** ……. ……..	Signature of transferee…….. …….. ……...

*: Delete whichever is not applicable.
@: This paragraph is to be used only when a portion of the Certificate is transferred.
**: Signature, occupation and address of witness. Witness should be different for transferor and transferee.

Transferred:

Stock Certificate issued No/s …….. dated …….. Manager, Reserve Bank of India, ……..

Annexure I

Nationalised Bank		***Scheduled Private Banks***	
1	**State Bank of India**	**1.**	**Axis Bank Ltd.**
2	**State Bank of Bikaner & Jaipur**	**2.**	**Catholic Syrian Bank Ltd.**
3	**State Bank of Hyderabad**	**3.**	**City Union Bank Ltd.**
4	**State Bank of Mysore**	**4.**	**Development Credit Bank Ltd.**
5	**State Bank of Patiala**	**5.**	**Dhanlaxmi Bank Ltd.**
6	**State Bank of Travancore**	**6.**	**Federal Bank Ltd.**
7	**Allahabad Bank**	**7.**	**HDFC Bank Ltd.**
8	**Andhra Bank**	**8.**	**ICICI Bank Ltd.**
9	**Bank of Baroda**	**9.**	**IndusInd Bank Ltd.**
10	**Bank of India**	**10**	**Jammu & Kashmir Bank Ltd.**
11	**Bank of Maharashtra**	**11**	**Karnataka Bank Ltd.**
12	**Canara Bank**	**12**	**Karur Vysya Bank Ltd.**
13	**Central Bank of India**	**13**	**Kotak Mahindra Bank Ltd.**
14	**Corporation Bank**	**14**	**Lakshmi Vilas Bank Ltd.**
15	**Dena Bank**	**15**	**Nainital Bank Ltd.**
16	**Indian Bank**	**16**	**Ratnakar Bank Ltd.**
17	**Indian Overseas Bank**	**17**	**South Indian Bank Ltd.**
18	**Oriental Bank of Commerce**	**18**	**Tamilnad Mercantile Bank Ltd.**
19	**Punjab National Bank**	**19**	**Yes Bank Ltd.**
20	**Punjab & Sind Bank**	**20**	**Bandhan Bank**
21	**Syndicate Bank**		
22	**Union Bank of India**		

23	**United Bank of India**		
24	**UCO Bank**		
25	**Vijaya Bank**		
26	**IDBI Bank Ltd**		
27	**Bharatiya Mahila Bank**		

SCHEDULED FOREIGN BANKS

1	**The Royal Bank of Scotland N.V**	**23**	**Mizuho Corporate Bank Ltd.**
2	**Abu Dhabi Commercial Bank Ltd.**	**24**	**Oman International Bank**
3	**Antwerp Diamond Bank N.V**	**25**	**Societe Generale**
4	**Arab Bangladesh Bank Ltd.(AB Bank)**	**26**	**Sonali Bank**
5	**Bank International Indonesia**	**27**	**Standard Chartered Bank**
6	**Bank of America**	**28**	**State Bank of Mauritius**
7	**Bank of Bahrain & Kuwait B.S.C**	**29**	**JSC - VTB Bank**
8	**Bank of Ceylon**	**30**	**UBS AG**
9	**Bank of Nova Scotia**	**31**	**American Express Banking Corporation**
10	**Bank of Tokyo - Mitsubishi Ltd.**	**32**	**First Rand Bank Ltd.**
11	**Barclays Bank**	**33**	**Commonwealth Bank of Australia**
12	**BNP Paribas**	**34**	**United Overseas Bank Ltd.**
13	**China Trust Bank**	**35**	**Credit Suisse A.G**
14	**Shinhan Bank**	**36**	**Sberbank**
15	**Citibank N.A**	**37**	**Australia and New Zealand Banking Group Ltd.**
16	**Credit Agricole Corporate and Investment Bank**	**38**	**Rabobank International**
17	**Deutsche Bank**	**39**	**National Australia Bank**
18	**DBS Bank Ltd.**	**40**	**Woori Bank**
19	**Hongkong and Shanghai Banking Corpn. Ltd.**	**41**	**Industrial & Commercial Bank of China**
20	**J.P.Morgan Chase Bank N.A**	**42**	**Sumitomo Mitsui Banking Corporation**
21	**Krung Thai Bank**	**43**	**Westpac Banking Corporation**
22	**Mashreqbank**	**44**	**Doha Bank**

List of Designated Post Office will be notified separately.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.